

कार्यालय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़।

पत्रांक :-

/।- सिविल दिनांक 07.11.2012

विज्ञप्ति

अलीगढ़ जजशिप में आशुलिपिक, तृतीय श्रेणी (समूह ग) व देय प्रशिक्षु के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु एक चयन सूची बनाने के लिये अर्ह अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

पदों की संख्या, आयु सीमा, वेतनमान आदि का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	वेतनमान	शैक्षिक योग्यता अनिवार्य
1.	आशुलिपिक	04	5200-20200 ग्रेड पे 2800/-	-अभ्यर्थी ने उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उसके समकक्ष अन्य किसी भी बोर्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो। -शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हिन्दी आशुलिपिक व हिंदी टंकण में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र। -हिन्दी आशुलिपि में गति 80 शब्द प्रति मिनट। -हिन्दी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट -अंग्रेजी आशुलिपिक एवं टंकण तथा कम्प्यूटर पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र धारण करने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा।
2	लिपिक	35	5200-20200 ग्रेड पे 2000/-	-अभ्यर्थी ने उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उसके समकक्ष अन्य किसी भी बोर्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तथा न्यूनतम अर्हता इण्टरमीडिएट के साथ-साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयेक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त सी०सी०सी० प्रमाण पत्र तथा हिन्दी अंग्रेजी में कम से कम 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति।
3	देय प्रशिक्षु	09	5200-20200 ग्रेड पे 2000/- नियत वेतन	-अभ्यर्थी ने उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उसके समकक्ष अन्य किसी भी बोर्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तथा न्यूनतम अर्हता इण्टरमीडिएट के साथ-साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयेक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त सी०सी०सी० प्रमाण पत्र तथा हिन्दी अंग्रेजी में कम से कम 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति।

आयु सीमा:- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.11.2012 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य होगी।

आरक्षण:- अनसूचित जातियों/अनसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों व अन्य आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

शीर्षाविमुख आरक्षण:

अनुसूचित जाति 21 %	अनुसूचित जनजाति 2 %	अन्य पिछड़ा वर्ग 27%	सामान्य
-----------------------	------------------------	-------------------------	---------

क्षैतिज आरक्षण: यह आरक्षण प्रत्येक वर्ग में लागू होगा।

भूतपूर्व सैनिक 5%	स्वतंत्रता संग्राम सैनानी 2%	विकलांग 3%	महिलाएं 20%
----------------------	---------------------------------	---------------	----------------

परीक्षा शुल्क:— सामान्य परीक्षा शुल्क रू0-300/- देय होगा किन्तु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0-150/- देय होगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा देय होगा, जो जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ (Payble to "District Judge, Aligarh" at Aligarh) के पक्ष में देय हो। अन्य किसी प्रकार से दिया गया परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। प्रदत्त शुल्क किसी भी दशा में वापिस नहीं किया जायेगा।

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि:— अभ्यर्थी आवेदन पत्र विहित प्रारूप पर केवल पंजीकृत डाक से जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ के कार्यालय में दिनांक 15.12.2012 समय सायं 5.00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। उक्त तिथि तक निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

चयन परीक्षा निम्न विषयों में होगी।

समस्त पदों हेतु अनिवार्य

लिखित परीक्षा

विषय	अंक
हिन्दी में साधारण ड्राफिटिंग	50 अंक
हिन्दी निबंध एवं हिन्दी सारांश लेखन	50 अंक
अंग्रेजी में साधारण ड्राफिटिंग एवं अंग्रेजी में सारांश लेखन	50 अंक
सामान्य ज्ञान	50 अंक

टंकण

हिन्दी में टंकण	50 अंक
अंग्रेजी में टंकण	50 अंक

आशुलिपिक पदों हेतु अनिवार्य

हिन्दी टंकण में गति	35 शब्द प्रति मिनट
आशुलेखन में गति	80 शब्द प्रति मिनट

(अमर सिंह चौहान)
अध्यक्ष चयन समिति/
अलीगढ़।

कार्यालय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़।

आवेदन पत्र का प्रारूप

अनुक्रमांक -----
(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

सेवा में,

जिला न्यायाधीश,
अलीगढ़।

नवीनतम पासपोर्ट
साइज फोटोग्राफ जो
राजपत्रित अधिकारी
द्वारा प्रमाणित हो।

1. आवेदित पद का नाम-----
2. अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में) -----
ब्लाक अक्षरों में (अंग्रेजी में) -----
3. पिता/पति का नाम -----
4. अभ्यर्थी की जन्म तिथि अंकों में ----- शब्दों में -----
5. अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.11.2012 को वर्ष-----माह-----दिन-----
6. अभ्यर्थी का पूर्ण स्थायी पता -----

पत्र व्यवहार का पता -----

7. श्रेणी (यदि अभ्यर्थी अन्य पिछड़े वर्ग/अनुजाति/अनु जन जाति का हो तो उसका उल्लेख करें और प्रमाण पत्र संलग्न करें) -----

8. राष्ट्रीयता -----

9. उ0प्र0में निवास की अवधि -----

10अ. शैक्षिक योग्यता:- (प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

क्र0सं0	परीक्षा का नाम	वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांक	प्रतिशत

10ब. अन्य योग्यता कोई हो तो उसका विवरण -----

11. भाषाएँ, जो आवेदक भलीभांति लिख पढ़ सकता है -----

12. आवेदक यदि आशुलेखन व टंकण का ज्ञान रखता है तो उसका उल्लेख हां/नहीं में करें तथा ज्ञान होने पर नीचे दिए गये स्तम्भ में गति का उल्लेख करें।

टंकण	हिन्दी में शब्द प्रति मिनट	
	अंग्रेजी में शब्द प्रति मिनट	
आशुलेखन	हिन्दी में शब्द प्रति मिनट	
	अंग्रेजी में शब्द प्रति मिनट	

13 क्या आवेदक किसी सेवा में था अथवा है, यदि हां तो पूर्ण विवरण पद एवं वेतन सहित अपने सेवायोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें अथवा सेवा से पृथक होने का कारण स्पष्ट करें।

14 आवेदक हिन्दी अथवा अंग्रेजी टंकण की परीक्षा में सम्मिलित होगा। (हिन्दी/अंग्रेजी/दोनों) -----

15 क्या आवेदक कभी दिवालिया घोषित हुआ है अथवा उस पर कोई ऋण है, यदि हां तो पूर्ण विवरण-----

16 आवेदक का सेवायोजन कार्यालय पंजीयन संख्या-----

17 बैंक ड्राफ्ट का विवरण सं0-----दिनांक-----धनराशि-----
घोषणा

एतद्वारा मैं-----घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त सभी विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। किसी भी सचूना के असत्य पाये जाने पर दण्ड का उत्तरदायी मैं स्वयं रहूंगा/रहूगी।

दिनांक-----

स्थान-----

संलग्नक-----

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

कार्यालय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़।
(अभ्यर्थी अलग शीट पर निम्न प्रारूप दो प्रतियों में स्वयं भरें)

अनुक्रमांक _____
(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

चयन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र

नवीनतम पासपोर्ट
साइज
फोटोग्राफ जो
राजपत्रित अधिकारी
द्वारा प्रमाणित हो।

1. आवेदित पद का नाम _____
2. अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में) _____
(अंग्रेजी में) _____
3. पिता/पति का नाम _____
4. अभ्यर्थी की जन्म तिथि अंकों में _____ शब्दों में _____
5. पत्र व्यवहार का पता _____

_____केवल कार्यालय प्रयोग हेतु_____

परीक्षा की तिथि _____
परीक्षा केन्द्र/स्थान _____
परीक्षा का समय _____

अध्यक्ष चयन समिति/
जिला जज, अलीगढ़।

सामान्य निर्देश

1. उपरोक्त रिक्त पदों की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती है।
2. अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता दये नहीं होगा।
3. आवेदक सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करें।
4. अंतिम शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति और दो अन्य संभ्रात व्यक्तियों जो आवेदक से सम्बंधित न हो, द्वारा आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से 6 माह के अन्दर निर्गत मूल चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
5. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवम पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
6. विकलांग अभ्यर्थियों को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत विकलांग प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
7. अभ्यर्थी को अपने नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित हो, आवेदन पत्र व प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर लगाना होगा। प्रवेश पत्र निर्गत किये जाने के उद्देश्य से अभ्यर्थी ₹0-25/- का डाक टिकट लगाकर अपना पता लिखे तीन लिफाफे (आकार 09"X04") आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
8. सेवायोजन कार्यालय में यदि आवेदक का पंजीयन है तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करें।
9. आवेदक को टंकण परीक्षा हेतु मशीन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी, कार्यालय से टंकण मशीन उपलब्ध कराए जाने की दशा में, मशीन खराब होने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
10. परीक्षा की तिथि, केन्द्र व समय की सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से पंजीकृत डाक द्वारा अभ्यर्थी को दी जायेगी।
11. यदि किसी आवेदक को डाक से सूचना प्राप्त नहीं होती है तो वह स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय से सम्पर्क कर प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकता है।
12. यदि डाक विभाग की त्रुटि के कारण अथवा अन्य किसी कारण से आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त नहीं होता है अथवा विलम्ब से प्राप्त होता है तो उसका उत्तरदायित्व इस कार्यालय का नहीं होगा।
13. अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रश्न-पत्र व उत्तर पुस्तिका ही दी जायेगी, अन्य लेखन सामग्री अर्थात् पैन, पेंसिल आदि उसे स्वयं लानी होगी।
14. परीक्षा शुल्क किसी भी दशा में वापिस नहीं होगा। सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये परीक्षा शुल्क समान होगा।
15. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों/भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण की सुविधा प्राप्त करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
16. आवेदन पत्र अपूर्ण होने की दशा में उस पर विचार नहीं किया जायेगा।
17. अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थाई होगी और उनकी सेवाये बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
17. आवेदन पत्र उससे संबन्धित विवरण एन0आई0सी0 की वेबसाइट <http://aligarh.nic.in> तथा जिला न्यायालय, अलीगढ़ की वेबसाइट districtcourtaligarh.up.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

नोट:- जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2007 में विज्ञापन के आधार पर इन पदों हेतु आवेदन पत्र दिये थे, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते वे निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक आयु के न हो गये हो तथा उनके द्वारा बढ़ा हुआ परीक्षा शुल्क पूर्व प्रेषित आवेदन पत्र के विवरण के साथ उपरोक्तानुसार बैंक ड्राफ्ट द्वारा निर्धारित तिथि तक अदा कर दिया गया हो।

(अमर सिंह चौहान)
अध्यक्ष चयन समिति/
अलीगढ़।